: 3.62 | IC Value 80.26

Volume-5, Issue-12, December - 2016 • ISSN No 2277 - 8160

Original Research Paper

Education

भारत एवं जापान की शैक्षिक प्रशासन व्यवस्था, शैक्षिक नियंत्रण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता

डॉ. विष्णु कुमार सहायक प्रोफेसर शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं

KEYWORDS :

तुलनात्मक शिक्षा का तात्पर्य :

आज का युग वैज्ञानिक युग है आज एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। दूसरे देशों की शिक्षा–प्रणाली के अध्ययन से अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में शिक्षा के घटकों की सामान्यता और भिन्नता की बात पाई जाती हैं। तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करना होता हैं। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का उद्देश्य उन विभिन्नताओं का भी अध्ययन करना है जिनमें किसी देश की शिक्षा प्रणाली दूसरे देश का शिक्षा प्रणाली से भिन्न प्रतीत होती है।

शैक्षिक प्रशासन का अर्थ :

सामान्य अर्थ में शैक्षिक प्रशासन का अर्थ – शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा के प्रशासन से होता है। शिक्षा का प्रसार तथा उसमें होने वाला लाभ शिक्षा प्रशासन के अभिकरणों की कुशलता तथा गतिशीलता पर निर्भर करता हैं। वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन मात्र शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं करता अपितु शैक्षिक योजनाएं बनाना, संगठन पर ध्यान देना, निदर्शन पर्यवेक्षण आदि अनेक कार्यों से संबंधित है। विभिन्न शिक्षाविदों एवं विचारकों के आधार पर शैक्षिक प्रशासन को निम्न बिन्दुओं के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता हैं।

1. शैक्षिक प्रशासन एक ऐसा प्रबंध होता है जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी के मध्य शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया सम्पादित होती हैं।
2. शैक्षिक प्रशासन में समन्वय एवं अभिप्रेरणात्मक क्रियाओं के तत्व विद्धमान रहते हैं।
3. शैक्षिक प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न मानवीय संबंधों का साकार रूप दिखाई देता है।
4. शैक्षिक प्रशासन में पर्यवेक्षण का गुण पाया जाता है।
5. सामुहिकता से कार्य करने के कारण शैक्षिक प्रशासन में विभिन्न कर्मचारियों एवं शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना विकसित होती है।

भारत में शैक्षिक प्रशासन :

भारतीय संविधान के अन्तर्गत शिक्षा व्यवस्था पर राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है परन्तु संविधान की 7वीं शेड्यूल की संघ सूची तथा समवर्ती सूचि में भी संबंधित प्रावधानों में है। केन्द्रीय स्तर पर शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय (पूर्व शिक्षा मंत्रालय) पर है। राज्य स्तर पर शिक्षा का सम्पूर्ण दायित्व राज्य मंत्रालय अथवा विभाग पर है, जबकि राज्य मंत्रालय, दायित्व में सहयोग करते है। कुछ राज्यों में तकनीकों शिक्षा संघ शिक्षा मंत्रालय का दायित्व है, परन्तु अन्य राज्यों में यह उद्योग मंत्रालय का दायित्व है। दो प्रकार की स्थानीय प्राधिकरण शिक्षा प्रावधान का दायित्व रखती है – नगरपालिका प्राधिकरण नगरीय क्षेत्रों में, जिला – परिषद, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति ग्रामीण क्षेत्रों में उनका मुख्य संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। निजी संगठन की एक प्रमुख भूमिका निभाते है। लगभग सम्पूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा निजी संस्थाओं में हैं लगभग 43 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालय 70 कला एवं विज्ञान महाविद्यालय निजी क्षेत्र में है।

जापान में शैक्षिक प्रशासन :

जापान में शैक्षिक प्रशासन चार स्तरों पर किया जाता है –

1. शिक्षा मंत्रालय :
2. शिक्षा परिषद
3. प्रीफेक्युअल शिक्षा परिषद
4. नगर पालिका बोर्ड ऑफ एजुकेशन

1. शिक्षा मंत्रालय : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाओं, विश्वविद्यालय, तथा शोध संस्थाओं की व्यवस्था की जाती है। यह शिक्षा मंत्रालय शिक्षा बोर्ड, व्यवसायिक बोर्ड तथा नगरपालिका के शिक्षा बोर्डों को दिशा निर्देशन भी करती है।

2. शिक्षा बोर्ड : सम्पूर्ण जापान में लगभग तीन हजार नगरपालिकायें है, प्रत्येक नगरपालिका में शिक्षा बोर्ड होते हैं, जो स्थानीय शिक्षा के प्रबंध का कार्य करती है।

3. प्रीफेक्युअल शिक्षा बोर्ड : राज्यपाल पांच सदस्यों को बोर्ड के लिए नियुक्त करता हैं। यह सदस्य बोर्ड में चार वर्ष रहते है और शैक्षिक क्रियाओं की व्यवस्था करते है और उनका निरीक्षण भी करते हैं।

4. नगर पालिका बोर्ड ऑफ एजुकेशन : नगरपालिका अध्यक्ष पांच सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका अनुमोदन नगरपालिका करती है, यह सदस्य बोर्ड में चार वर्ष तक रहते है। इसे नगरपालिका शिक्षा सभा भी कहते हैं। नगर पालिका शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के प्रशासन एवं प्रबंधन कार्य की व्यवस्था करती है।

शैक्षिक नियंत्रण : भारत में शैक्षिक नियंत्रण :

आज भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा की उन्नति के लिए उत्तरदायी है। केन्द्र भी कुछ शैक्षिक क्षेत्रों में उत्तरदायित्व का सह भागीदार हैं सन् 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षण के कुछ विषय राज्य तथा केन्द्र के संयुक्त उत्तरदायित्व के अधीन रखे गये है। विज्ञान शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा केन्द्र उच्च अनुसंधान के मानक को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी हैं बी, एच, यू, जे.एन.यू, विश्वविद्यालय, भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, और कुछ अन्य शिक्षा के केन्द्र सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में आते हैं। सभी शैक्षिक संस्थाएं, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक संस्थान केन्द्र से प्राप्त धन द्वारा संचालित होते हैं। अतः वे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन आते है। शैक्षिक नियोजन तथा पिछड़ी जाति की शिक्षा भी केन्द्र के उत्तरदायित्व में आती हैं।

जापान में शैक्षिक नियंत्रण :

जापान में युद्ध से पहले एवं बाद का शैक्षिक नियंत्रण जापान में प्रमुखतया 3 प्रकार के विद्यालय प्रचलित थे। प्रथम प्रकार के विद्यालय थे। मोम्बुशू शासन द्वारा स्थापित करके संचालित किए गए थे, दूसरे विद्यालय स्थानीय संस्थाओं, नगरों, गांवों तथा प्रोफक्चर्स द्वारा सत्यापित थे और तीसरे प्रकार के व्यक्तिगत विद्यालय थे। जापान से सबसे अधिक विद्यालय स्थानीय संस्थानों ने संचालित किये थे ओर उससे कम शासन द्वारा संचालित विद्यालय थे। जापान के प्रीफेक्चर्स इंग्लैण्ड की काउण्टीज के समान महत्त्वपूर्ण थे और इनकी संख्या 46 थी। शासकी विद्यालयों का नियंत्रण तो सरकार ही करती थी परन्तु शेष विद्यालयों में भी शासन के नियंत्रण युक्त आदर्शों का पालन किया जाता था। युद्ध के बाद पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व स्थानीय परिषदों और नगरपालिकाओं पर होता है। उत्तरदायित्व के साथ–साथ शिक्षा पर भी नियंत्रण करते हैं।

शैक्षिक अवसरों की समानता

शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ :

शिक्षा में अवसरों की 'समानता' का विचार फ्रांससी क्रांति के साथ आया व संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्वाधीनता युद्ध के बाद इसने स्वरूप ग्रहण किया रजा व प्रेमी (1987) का मत है कि समाज के लाभान्वित वर्गों के हितो में सरक्षात्मक विभेद की नीति का अनुसरण करके शिक्षा में समानता प्राप्त की जा सकती है। इस अर्थ में शिक्षा में समानता और समता का एक ही लक्ष्य है।

भारत में शैक्षिक समानता के सूचक :

इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के 'रिडक्शन ऑफ रीजनल डिसपैरिटीज : द रोल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग' नामक मोनोग्राफ में समता के दो सूचकों –

1. साधनों के सूचक,
2. परिणामों के सूचक का उल्लेख है।

1. साधन सूचकों में से प्रमुख है –

शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, समूहों का गठन व उनकी योग्यताएं, छात्रों का संगठन, भवनों की सुलभता व गुणवता तथा समूहन सुविधाओं की सुलभता व गुणवत्ता, शिक्षा सुविधाओं के उपयोग की मात्रा, अध्यापकों का शैक्षिक दृष्टिकोण, स्कूल का सामाजिक वातावरण।

2. परिणामों के सूचकों में :

विद्यालयों में प्रगति, संज्ञानात्मक उपलब्धियों कौशलों व अभिवृत्तियों का स्तर, प्रतिधारक आदि को शामिल किया गया है। भारतीय विद्वानों ने समानता के निम्न सूचकों का सर्वाधिक प्रयोग किया है विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली सुविधाओं की उपलब्ध, लिंग, धर्म, सजातीयता व सामाजिक, आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत छात्रों के नामांकन अनुपात तथा लिंग व आवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत छात्रों की उपलब्धि प्राप्तांक। राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान में किये गये एक अध्ययन में सूचकों के वर्गीकरण की एक व्यापक योजना तैयार की गई है। जिसमें प्रणाली और आधार सामग्री की उपलब्धि के उद्देश्यों की ओर प्रमुख ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर 200 सूचकों की पहचान की गई जो सात वर्गों से संबंधित है –

1. अभिगम्यता के सूचक
2. प्राप्यता के सूचक
3. मात्रा के सूचक
4. गुणवत्ता के सूचक
5. अंतर संयोजना के सूचक
6. समता के सूचक
7. प्रयोग के सूचक

भारत में शैक्षिक सुविधाओं में समानता स्थापित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण शुल्क नहीं लेते हैं। पाठ्यपुस्तको व लेखन सामग्री का निःशुल्क वितरण, पुस्तक बैंक योजना का विकास किया जाना व पुस्तकालयों में पुस्तके उपलब्ध करना पुस्तक क्रय अनुदान देने व उनकी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। व छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति देने की योजना चालु है। विकलांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। पिछड़े व आदिवासियों को शिक्षा की सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है।

जापान में शैक्षिक अवसरों की समानता :

एन.सी.पी. विभाग द्वारा यह उचित समझा गया कि शिक्षा व्यवस्था जापानी नागरिकों की आवश्यकता और स्वेच्छा से होनी चाहिए। मोम्बुश और अमेरिकी शिक्षा शास्त्रियों के मतैक्य से प्रीफेक्चर्स और अन्य संस्थाओं की 1946 ई. के राज्य परिषद् द्वारा निर्मित संविधानुसार शिक्षा सुधार संबंधि आदेश प्रदान किये गये। संविधान की धारा 13, 14, 19, 20, तथा 23 द्वारा शिक्षा की नीतियों में जन–विचारों, भावों, आवश्यकताओं, जन–सुविधाओं और धार्मिक प्रवृत्तियों को शिक्षा व्यवस्था का आधार माना। संविधान की धारा 26 के अनुसार सार्वजनिक, सर्वसुलभ और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। जनता का शिक्षा प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार माना

Scanned by CamScanner